

सं. MTO/G/545/550

फरवरी 20, 2013

व्यापार परिपत्र

विषय : सिटी सेंटर, हल्दिया में ट्रक पार्किंग टर्मिनल में नए परमिट कार्यालय

एक नया ट्रक पार्किंग टर्मिनल वर्तमान में हल्दिया विकास प्राधिकरण (एचडीए) द्वारा सिटी सेंटर, देबहोग हल्दिया में प्रचालन में है।

केओपीटी भी मार्च 01, 2013 से उक्त ट्रक टर्मिनल के परिसर में एक नया परमिट कार्यालय खोल रहे हैं और पोर्ट के बाहर और अंदर कंटेनर वाहनों की सुचारु गति की सुविधा के लिए केवल कार्मिक व ट्रेलर्स ले जाने वाले कंटेनर के लिए सभी दिनों पर 8.00 बजे से 17.00 बजे तक परमिट जारी किए जाएंगे।

इसके अनुसार, केओपीटी द्वारा निर्णय लिया गया है कि डॉक परिसर (सीएफएस/स्थानीय उद्योगों के/से इनके निर्धारित और केओपीटी के मासिक या द्वैवार्षिक पर प्रचालित उनके ट्रेलर्स को छोड़कर) में प्रवेश करने के लिए निर्धारित सभी आयात व निर्यात कंटेनर ट्रेलर्स को 01 मार्च 2013 से ट्रक पार्किंग टर्मिनल के भीतर स्थित उक्त परमिट कार्यालय से परमिट प्राप्त करना आवश्यक होगा।

सभी संबंधितों से इसके अनुसार मामले में सहयोग और आवश्यक कार्यवाही किए जाने का अनुरोध है।

(डी. नायक)
प्रबंधक (एसएच व सीएच)